Rcms 2018/00183

मिसल नं0 06/2018 सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम 1. रतनसिंह पुत्र नारायण सिंह (लाओलाद फौत) नि0 पाचडा तहसील दीगोद (2) ग्राम पंचायत गढेपान पं0 सं0 सुल्तानपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09-01-20	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटी श्री रतनसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी पाचडा तहसील दीगोद को ग्राम पाचडा तहसील दीगोद की ख0 नं0 332 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु दिनांक 31.10.2018 को प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी की ओर से श्री चन्द्रसिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह जाति राजपूत निवासी पाचडा तहसील दीगोद द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी चन्द्र सिंह को रतनसिंह जी ने गोद लिया था इस कारण ही चन्द्रसिंह ही उनका एक मात्र वारिस है । चूंकि तहसीलदार दीगोद द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की मृत्यु के बाद बिना मृतक के वारिसान बनाये प्रस्तुत किया है । अतः तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार आवंटी के वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार दीगोद को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	

नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी